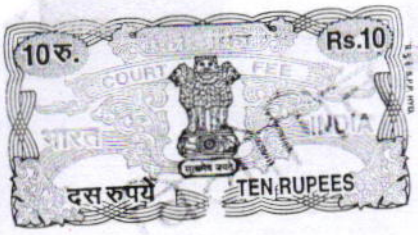

10 रु. COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–छतरपुर R - 3919 - II/12

ओमप्रकाश तनय नन्दकिशोर खरे, निवासी–छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासनद्वारा कलेक्टर, जिला–छतरपुर

...... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 178/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.09.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक के पिता स्व. नन्दकिशोर खरे पुत्र हरप्रसाद खरे को शासन की नीति अनुसार रिटायर्ड पुलिस सैनिक होने से ग्राम रसुईय ठकुराइन में स्थित भूमि खसरा नं. 188/1 में से 2.023 हेक्टेयर का पट्टा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 322/अ/19/1971–72 आदेश दिनांक 09.03.1972 को दिया गया था, जो संवत 2028 से 2033 तक के लिये था, जिसका भूमि स्वामी होकर पटवारी रिकार्ड में भूमि खसरा नं. 188/1/3 पर दर्ज रहा है। आवेदक के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात् आवेदक द्वारा उक्त पट्टे से प्राप्त भूमि पर नामान्तरण स्वीकार होकर वर्ष 1977 में ऋण पुस्तिका भूमि स्वामी स्वत्व की प्राप्ति के सम्बन्ध में दी गई थी। तत्पश्चात् आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में लेख किया जाने लगा था, जिसे विलोपित किये जाने हेतु आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था।

2– यहकि, आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र के साथ पट्टा दिनांक से लेकर वर्ष 2010–11 तक के खसरे प्रस्तुत किये थे। आवेदक को पट्टा की नकल

न्यायालय राजस्व मण्डलए मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी–3919–दो/2012 जिला–छतरपुर

ओमप्रकाश खरे विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–12–2018	1/ प्रकरण प्रस्तुत। 2/ आवेदक ओमप्रकाश खरे की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 178/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 29–09–2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16–11–2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3/ म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – " संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4/ अनुविभागीय अधिकारीके द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध	

14.12.18

म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5/ अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18.03.2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6/ कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये । उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 14.12.18
सदस्य